संख्या-14/2026/I/1420921/2026/652/66-2026-2048555

प्रेषक,

रजनी कान्तं पाण्डे/य,
संयुक्तन सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ रू दिनांक 04-08-2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना में भारत सरकार से मदर सैंक्शन के रूप में द्वितीय किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 8000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 7998.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 5,332.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 13,330.00 लाख, अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु रू0 1.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 0.50 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 0.33 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 0.83 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 13331.83 लाख को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-83-84/पीएम एफएमई/2026-27, दिनांक-16.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-10/2026/I/1360140/2026/432/66-2026-2048555, दिनांक 10.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार से मदर सैंक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-12000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0-9453.00 लाख के सापेक्ष संगत 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-6302.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-15755.00 लाख, नॉन-शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0-1000.00 के सापेक्ष राजस्व पक्ष में रू0-600.00 लाख एवं पूंजीगत पक्ष में रू0-400.00 लाख अर्थात कुल समेकित धनराशि रू0-16755.00 की अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना में भारत सरकार से मदर सैंक्शन के रूप में द्वितीय किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 8000.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 7998.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 5,332.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 13,330.00 लाख, अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु रू0 1.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0 0.50 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 0.33 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 0.83 लाख, इस प्रकार कुल समेकित धनराशि रू0 13331.83 लाख (रूपया एक अरब तैतीस करोड़ इकत्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।
(3) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।
(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/ वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।
(5) वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4- इस संबंध में होने वाला व्यय
लेखाशीर्ष: 2401001190104 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.$ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,00, 000 (रुपये आठ लाख मात्र)
2	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	1,32,21,00,000 (रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ इक्कीस लाख मात्र)
3	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	1,00,00, 000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
4	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग	47 कम्प्यूटर	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)

http://gnasanadesh.up.gov.in

		उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	अनुरक्षणतत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	
	कुल			**1,33,30,00,000 (रुपये एक अरब तैंतीस करोड़ तीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्षरू 2401001190104 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.$ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)**

लेखाशीर्षरू 2401007890122(प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60$रा. 40/के.$रा.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890122 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60+रा. 40/के.+रा.)	27 सब्सिडी	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
	कुल			**83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)**
महायोग				1,33,31,83,000 (रुपये एक अरब तैंतीस करोड़ इकतीस लाख तिरासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-99-X-2026-27-दिनांक:3-8-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-14/2026/I/1420921/2026/652 (1)/66-2026,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।

(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in